जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

78/14

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 78/2014 अनवानी सज्जनदेवी पत्नि देवीलाल जाति ब्राम्हण निवासी 26 पीबीएन तहसील सूरतगढ जरिये आममुखत्यारनामा सुशीला शर्मा पुत्री देवीलाल शर्मा हाल निवासी चक 1 केएसआर तहसील सूरतगढ बनाम 1–उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ 2–बिकास पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी सिधुवाला तहसील सूरतगढ 3–एम.बी. आनन्द पुत्र ईश्वरदास आनन्द जाति नामालूम निवासी 47 सुन्दरनगर नई दिल्ली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11–05–2015

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया के अभिभाषक श्री अमित स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 2 विकास के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। उभयपक्ष पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीया के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीया सुशीला शर्मा पुत्री श्री देवीलाल शर्मा जो कि सज्जनदेवी पत्नि देवीलाल की ओर से मुखत्यारआम नियुक्त है और मुखत्यारआम की हैसियत से उसके द्वारा प्रार्थी सज्जनदेवी की ओर से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 235 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित वाद सं0 159/2013 अन्तर्गत धारा 188 व 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम एवं विविध प्रकरण सं0 95/2013 अनवानी विकास बनाम सज्जनदेवी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर पेश किया है। प्रार्थीया के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी सं0 2 विकास जो कि गंगाजल मील पूर्व विधायक का रिश्तेदार है और उसने पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थीया के विरूद्व फैसला करवाने के लिए अनुचित राजनैतिक दबाब बना रखा है और दिनांक 03.12.14 को प्रकरण संख्या 95/13 में प्रार्थीया को बिना सुने ही अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में तथा प्रार्थीया के विरूद्व आदेश पारित कर दिया। जिससे प्रार्थीया को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है इसलिए उक्त प्रकरण किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जावें।

इसके विपरीत अप्रार्थी सं0 2 विकास के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी सं0 3 एम.बी.आनन्द की अभी तलवी शेष है इसलिए जब तक उसकी तलवी नही हो जाती तब तक हस्तगत प्रकरण का निस्तारण नही करना चाहिए। उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीया द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाते है। राजनैतिक दबाब का ऐसा आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है इसलिए मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी सं0 2 ने एक वादपत्र सं0 159/2013 विकास बनाम सज्जनदेवी आदि धारा 53,188 आरटीए एवं एक विविध प्रकरण सं0 95/2013 विकास बनाम सज्जन देवी आदि धारा 212 आरटीए का उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में पेश कर रखा है जो उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का प्रतिवेदन दिनांक 17/23–12–2014 के अनुसार उनके न्यायालय में अभी लम्बित है और उन्हे अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने में उन्हें कोई आपति नही है। प्रार्थीया ने उक्त प्रकरणो को इस आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है कि अप्रार्थी सं0 2 विकास सूरतगढ के पूर्व विधायक गंगाजल मील का रिश्तेदार है और उसने पीठासीन अधिकारी पर उसके विरूद्व निर्णय हेतु राजनैतिक दबाब बना रखा है। अप्रार्थी सं0 2 के अभिभाषक का यह कथन कि अप्रार्थी सं0 3 की अभी तामील नही हुई है इसलिए प्रकरण का निर्णय नही करना चाहिए। इस तर्क के सन्दर्भ में मैने पत्रावली में उपलब्ध नोटिस जो कि अप्रार्थी सं0 3 एम.बी.आनन्द को दिनांक 21.04.2015 को सुनवाई के लिए उपस्थित आने के लिए जारी किया गया है जो जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 08.04.2015 को भेजा गया है जिसकी वापसी की सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नही हुई है। सी.पी.सी. के आर्डर 5, रूल 9(5) के

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

78/14

A3/2

प्रस्तुक के अनुसार रजिस्टर्ड नोटिस जारी होने की तारीख से अगर एक माह तक वापसी रसीद प्राप्त नही होती है तो यह उपधारणा की जायेगी कि संबंधित व्यक्ति पर नोटिस तामील हो चुका है और ऐसी अवस्था में अप्रार्थी सं0 3 पर तामील होनी मानी जाती है और अप्रार्थी सं0 2 का इस संबंध में उठाया गया उक्त तर्क अस्वीकार किया जाता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 3 पर उक्तानुसार नोटिस की तामील होना मानी गयी है और वह उपस्थित नही है इसलिए उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

जहां तक प्रार्थीया द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाया गया राजनैतिक दबाब के आरोप का संबंध है। हालांकि यह आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है। **चूंकि प्रार्थीया द्वारा निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त की गई और हम चाहते है कि प्रार्थीया का न्याय प्रणाली में पूर्ण विश्वास बना रहे इसलिए न्याय हित में यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्याय हित में प्रार्थीया का मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित उक्त वाद सं0 159/2013 विकास बनाम सज्जनदेवी धारा 53 – 188 आरटीए व विविध प्रकरण सं0 95/2013 धारा 212 आरटीए को उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु मुन्तकिल किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त दोनो प्रकरणो को तत्काल उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को भिजवावें और उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त प्रकरणो की शीघ्र विधिवत सुनवाई कर निस्तारण करने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ व उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

78/-82
18-5-15

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर